भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं.576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-I/2018 दिनांक: 18 मई, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. महाराष्ट्र
2. नागालैंड़
3. उत्तर प्रदेश
4. बिहार
5. झारखण्ड
6. केरल
7. मेघालय
8. पंजाब
9. उत्तराखण्ड
10. पश्चिम बंगाल

विषय: महाराष्ट्र, नागालैंड़, उत्तर प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा तथा बिहार, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा के उप निर्वाचन, 2018--इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग।

महोदय,

मुझे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक 18 मई, 2018 के निदेश सं.576/3/ईवीएम/ ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-I/2018 को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें **महाराष्ट्र में 11-भन्डारा-गोंदिया एवं 22-पालघर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 285-पलुस कडेगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड़ में नागालैंड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश में 2-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 24-नूरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा बिहार में 50-जोकिहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 34-गोमिया एवं 61-सिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 110-चेनगान्नूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मेघालय में 53-आमपाती (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में 32-शाहकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखण्ड में 05-थराली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 155-महेशटाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें दिनांक 03.05.2018 को अधिसूचित लोक सभा तथा विधान सभा के वर्तमान उप निर्वाचनों में मतों का डालना एवं रिकार्ड करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही सभी

मतदान मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स युक्त प्रिंटर लगाया जाएगा। यह निदेश राज्यों के सरकारी राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और इस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग की सूचना एवं रिकार्ड हेतु अग्रेषित की जाएं।

2. इसके अतिरिक्त, मुझे मतदान मशीनों के डिजाइन, बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के रूप एवं भाषा (ओं), निविदत्त मतपत्र की डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका, संस्करण 2014 के अध्याय-XI 'वोटिंग मशीनों के लिए डाक मतपत्र और मतपत्र' में निहित संगत अनुदेशों का कृपया अनुसरण किया जाए।

3. ऊपर उल्लिखित अनुदेश सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।

4. आयोग के उपर्युक्त निर्णय का व्यापक प्रचार भी किया जाए।

5. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55ग से 57ग के प्रावधानों और मतों की गणना से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका-2014, (जहां ईवीएम का प्रयोग होता है) के अध्याय XV में निहित है, की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को कहा जाना चाहिए कि वे उक्त अनुदेशों और निदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।

6. कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-
(लता त्रिपाठी)
अवर सचिव

भारत के राजपत्र तथा महाराष्ट्र, नागालैंड़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, केरल, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्य के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 18 मई, 2018

निदेश

सं. 576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्या./एसडीआर//खण्ड-I/2018:- यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकॉर्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट किया जाए; और

2. यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

3. यत:, आयोग ने **महाराष्ट्र में 11-भन्डारा-गोंदिया एवं 22-पालघर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 285-पलुस कडेगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड़ में नागालैंड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश में 2-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 24-नूरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा बिहार में 50-जोकिहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 34-गोमिया एवं 61-सिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 110-चेनगान्नूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मेघालय में 53-आमपाती (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में 32-शाहकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखण्ड में 05-थराली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 155-महेशटाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों** जिनमें लोक सभा तथा विधान सभा के वर्तमान उप निर्वाचन चल रहे हैं, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटरों को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं (जिसे ''वीवीपीएटी प्रिंटर'' कहा जाता है) तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपीएटी प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है।

4. अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा **महाराष्ट्र में 11-भन्डारा-गोंदिया एवं 22-पालघर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और**

285-पलुस कडेगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड़ में नागालैंड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश में 2-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 24-नूरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा बिहार में 50-जोकिहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 34-गोमिया एवं 61-सिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 110-चेनगान्नूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मेघालय में 53-आमपाती (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में 32-शाहकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखण्ड में 05-थराली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 155-महेशटाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें **03.05.2018** को उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से अधिसूचित किए गए संबंधित कर्नाटक के राज्य विधान सभा के लिए वर्तमान साधारण निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों तथा उपरोक्त वीवीपीएटी प्रिंटरों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगें।

5. आयोग एतद्द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर (वीवीपीएटी प्रिंटरों) जिसे उक्त वोटिंग मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है जिनका उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

आदेश से,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
वरिष्ठ प्रधान सचिव